

न्यायालय :- प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक / /IV-AJ to I-ADJ/2020 बैतूल, दिनांक 05 अगस्त 2020

-:: सूचना ::-

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के सर्कुलर क्रमांक-बी/2798 जबलपुर, दिनांक 31.07.2020 तथा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के विविध आदेश क्रमांक-117/दो-12-11/2014 बैतूल, दिनांक 04.08.2020 के अनुपालन में **दिनांक 06-08-2020** को व्ही.सी. के माध्यम से अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरणों की सूची निम्नानुसार है :-

स.क्र.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार का नाम	सिविल/आप.
01.	RCANo 98/2017	शांतिबाई व अन्य विरुद्ध शकुन व अन्य	सिविल अपील
02.	CRA No. 40/2016	म.प्र. शासन विरुद्ध सुजीत	दाण्डिक अपील
03.	CRR No. 93/2016	रोहित विरुद्ध परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र सारनी	दाण्डिक रिविजन

sd
(राज कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त
न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / /IV-AJ to I-ADJ/20 बैतूल, दिनांक 05 अगस्त, 2020
प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला अधिवक्ता संघ बैतूल के सूचना पटल पर अधिवक्तागण/सर्वसाधारण को सूचनार्थ।
3. न्यायालय सूचना पटल पर अधिवक्तागण/सर्वसाधारण को सूचनार्थ।
- ✓ 4. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बैतूल की ओर उक्त सूचना जिला न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

Om
21/08/20
(राज कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त
न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

न्यायालय :- द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुलताई जिला-बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक ~~क्यू~~ / द्वि.अ.जि.न्या. / 2020

मुलताई दिनांक 05/08/2020

परिपत्र

विषय :- लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचित किया जाता है कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक बी/2798 जबलपुर दिनांक 31.07.2020 अनुसार परिपत्र क्रमांक क्यू 5 दिनांक 25.03.2020 एवं तत्संबंधी अन्य परिपत्रों को दिनांक 08.08.2020 तक प्रभावशील किया जाकर न्यायालयों का सीमित संचालन अनुज्ञात किया गया है।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 64 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश हेतु नियत प्रकरण तथा अंतिम तर्क हेतु नियत क्रिमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में अतिआवश्यक मामलो में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः दिनांक **06.08.2020** को नियत निम्नांकित दांडिक एवं सिविल प्रकरण प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे के मध्य सुनवाई में लिये जावेंगे।


क्र.	प्रकरण क्र.	सी. आई. एस. नं.	पक्षकार नाम	अधिवक्ता नाम	मोबाईल न.	रिमार्क
1	Cr.A. 223/16	128/16	अरुण विरुद्ध संगीता	1. श्री नवीन बिहारिया 2. श्री पंजाबराव साबले	9340881990 9424501095	
2	RCA	100018/16	कृष्णा विरुद्ध भारत संचार निगम लिमिटेड	1. श्री नवीन श्रीवास्तव 2. श्री बी.के. पाण्डे	9425440740 9425003578	

उक्त प्रकरणों में सुनवाई हेतु पक्षकारगण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने-अपने उक्त प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम तर्क प्रस्तुत करें। यदि वे अपने निवास एवं कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ हो, तो वे न्यायालय परिसर में स्थित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी-अपनी बारी आने पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा शासन प्रशासन के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे

सम्माननीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई-मेल आई-डी multai@mphc.in पर ई-मेल करना सुविधाजनक होगा।

दिनांक 06.08.2020 को नियत शेष आपराधिक एवं सिविल प्रकरण निम्नांकित दिनांक को उसी प्रक्रम पर सुनवाई में लिये जायेंगे :-

क्र.	प्रकरण क्र.	सी.आई. एस. नं.	पक्षकार नाम	अधिवक्ता के नाम	नियत दिनांक	रिमार्क
1	S.T. 208/19	117 / 19	राज्य विरुद्ध मुकेश	1. श्री अभयसिंह ठाकुर 2. श्री आर.के. सूर्यवंशी	26.08.2020	
2	S.T. 202/19	108 / 19	राज्य विरुद्ध खलील	1. श्री अभयसिंह ठाकुर 2. श्री नवीन श्रीवास्तव	03.09.2020	
3	MJC R 58/19	61 / 19	राज्य विरुद्ध दीपक	1. श्री अभयसिंह ठाकुर	30.12.2020	
4	MJC R 57/19	60 / 19	राज्य विरुद्ध सुनील	1. श्री अभयसिंह ठाकुर	30.12.2020	
5	MJC R 34/19	36 / 19	राज्य विरुद्ध कैलाश	1. श्री अभयसिंह ठाकुर	25.12.2020	


5.8.2020

(सुशील कुमार जोशी)

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुलताई, बैतूल (म.प्र.)